

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

२३/११/२५

पत्रावली वेब द्वारा वादी अधिवक्ता उपस्थित हैं प्रतिवादी वे.० के अधिवक्ता उपस्थित। आरम्भिक डिडी दिनांक २३/११/२५ की पालना में नामक तहसीलदार बडलिमास के पत्र क्रमांक/ ५५५५/२०२५ दि. ०९/१०/२०२५ से विभाजन उत्तराव प्रस्तुत किया। जो इस प्रकार है-

- ① ग्राम रजवास
- ② अमावसी में यम खतवार / भाराजी सं. / प्रैजफल
श्रीश्री कुमार पुत्र सोहनलाल / ५३/६३ स्वयं सजिन श्री
गोपाल पुत्र तेज ५०/६३ बलरि सजिन श्री
भाराजी सं. १०८२/९३७ - ०.५२३५ हेक्टेयर
१०८३/९३७ - ०.५३३१ हेक्टेयर
कुल खिदा - २, प्रैजफल = ०.९६६६ हेक्टेयर

③ विभाजन उत्तरावित ->

i) श्रीश्री कुमार पुत्र सोहनलाल स्वयं सा. कोठी के हिस्से में भाराजी सं. १०८३ प्रैजफल ०.५२३५ हेक्टेयर

ii) गोपाल पुत्र तेज बलरि सा. रीठ के हिस्से में भाराजी सं. १०८३/९३७ प्रैजफल ०.५३३१ हेक्टेयर

इस विभाजन से गोपाल पुत्र तेज बलरि सहमत हैं। परन्तु प्रतिवादी श्रीश्री कुमार पुत्र सोहनलाल स्वयं श्रीश्री भाराजी में हिस्सा लेना चाहता हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता हैं। विभाजन उत्तराव कबज। कारर अनुमार हेमार सिमा गमा।

उस प्रविभाजन उत्तराव घर श्रीश्री कुमार स्वयं के अधिवक्ता ने दि. २३/१०/२०२५ को आवदि प्रतिपात्र प्रस्तुत किया है। उस प्रविभाजन पर उभयपत्र अधिवक्ता को हुना गमा। वादी अधिवक्ता ने नामक तहसीलदार बडलिमास द्वारा नामक गमे विभाजन उत्तराव कबजे के अनुमार जो स्वीकार कराये जाने की उभिन। की प्रतिवादी अधिवक्ता ने उभे श्री भाराजी में सिडस लड वा २००५ के अनुमार विभाजन की डिडी जारी कराने की उभिन। की

अपखण्ड अधिकारी
भीलवासर

वादी ३५ के वाक्य क्रमगत धारा 53 RTA का अर्थानुसार
 यथा (उत्तराधी सं. ०) के जवाब एवं आपत्ति प्रमाण का
 अर्थानुसार विभाजन किया गया। नाम व लक्ष्मीलाल बडलिमास द्वारा प्रस्तुत
 विभाजन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। ग्राम रेडवाच के आधार
 सं. 1082/937 व 1082/937 वादी एवं उत्तराधी सं. ० की
 समुच्चय खातेयारी वर्ष होकर वादी का 40/89 दिवसा एवं
 उत्तराधी सं. ० का 44/89 दिवसा दर्ज रकम है जिसके
 समवेत में जमाबंदी सम्वत् 2074-77 जमाबंदी वर्ष 2078
 की उत्तराधी संलग्न प्रस्तुत की है। उपलक्ष्यलाल बडलिमास
 ने समुच्चय खातेयारी भारतीय का दिवसे व कर्बे अनुसार
 विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उत्तराधी सं. ० ने
 उपर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकृत करते हुए प्रत्येक
 भारतीय के दिवसे अनुसार विभाजन जाह गथा है। वादी एवं
 उत्तराधी के कर्बे के आधार पर जो विभाजन प्रस्ताव है मा
 किया गया है उस पर उत्तराधी सं. ० द्वारा प्रस्तुत आपत्ति
 न्यायप्रति उचित नहीं है। उत्तराधी सं. ० द्वारा प्रस्तुत
 आपत्ति को खारिज किया जाता है। वादी के वाक्य क्रमगत
 धारा 53 RTA में उपलक्ष्यलाल बडलिमास द्वारा प्रस्तुत
 विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार भर्त्तिमि डिडी
 जारी की जाती है।

ग्राम - रेडवास

विभाजन से (I) भगवानुनुवार पुत्र सोहनलाल खमेरु सा० श्रीडी
 खलेदार जो भारतीय सं. 1082/937 रकम 0.53
 हेक्टेयर रहेगी।

(II) गोपाल पुत्र देवा वलरि सा० रीड खलेदार के
 भारतीय सं. 1082/937 रकम 0.49 हेक्टेयर
 रहेगी।

नाम व लक्ष्मीलाल बडलिमास उपरोक्त विभाजन का राजस्व रकम
 में इन्डाय करे। विभाजन प्रस्ताव व जोड़ पकी भर्त्तिमि डिडी का
 पत्र रहेगा। प्रकृत कर्मल कुमार होकर नम्बर से कम किया जाते।

उपखण्ड अधिकारी
 बीकानेर